41–(08)–20–2017

पटना में दिनांक–19 दिसम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2017–18 से विद्यालय छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा विभागीय संकल्प संख्या–4061, दिनांक–16.05.2016 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना(नवीकरण एवं नवीन) का संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण एवं नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

2.	रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत शेखपुरा रेल पी०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

3.	बलवाघाट बराज–सह–सिंचाई योजना का निर्माण कार्य जिसकी प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू० 10712.444 लाख (एक अरब सात करोड़ बारह लाख चौवालिस हजार चार सौ मात्र) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	3.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

4.	पूर्वी सोन उच्चस्तरीय मुख्य नहर के आर०डी० 0.00 से 268.40 तक तथा मुख्य नहर से निसृत वितरण प्रणालियों के मजबूतीकरण एवं लाइनिंग कार्य। प्राक्कलित राशि ₹ 15308.40 लाख, (एक सौ तिरपन करोड़ आठ लाख चालिस हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. Consultancy Services for preparation of DPR for optimum utilization of effluent treated water from the proposed STP at (i) Beur, Patna (ii) Karmalichak, Patna (iii) Saidpur (iv) Kankarbagh, Patna (v) Pahari, Patna for irrigation purpose using modern techniques mainly through natural drains and existing canal system कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 105.00 लाख (एक करोड़ पाँच लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

5. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6. वर्ष 2017–में अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तिरहुत मुख्य नहर से निःसृत नहर प्रणालियों, दोन, त्रिवेणी, घोड़ासहन शाखा नहरों में नहर बाँधों, सेवापथ तथा संरचनाओं इत्यादि का मरम्मति एवं पुनर्स्थापन कार्य (फेज–II) प्राक्कलित राशि रू० 7950.93 लाख (उन्नासी करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

6. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

7. पटना मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 बारून से कि०मी० 57. 60 बलिदाद तक सेवा पथ के चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 19890.00 लाख (एक अरब अन्ठानवे करोड़ नब्बे लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. बिहार–झारखंड की संयुक्त परियोजना उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किये जाने वाले सहमति पत्र (MoU) एवं योजना के लिए MoU में प्रावधानित राज्यांश की राशि का Long Term Irrigation Fund (LTIF) के तहत नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड एवं NWDA के बीच किये जाने वाले Supplementary Memorandum of Agreement (MoA) प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. बेलहरना जलाशय से निःसृत बेलहरना मुख्य नहर, गिद्धा माईनर, दुहवा माईनर, कुन्ता माईनर, सुराही माईनर तथा बदला वाटर कोर्स के पुनर्स्थापन एवं पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य (प्राक्कलित राशि 3535.39748 लाख (पैतीस करोड़ पैतीस लाख उनचालीस हजार सात सौ अड़तालीस रूपये मात्र)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10. स्वीकृत।

10. पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी प्रखंड में दरधा नदी पर बेर्रा ग्राम के निकट बेर्रा बराज का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 4325.34 लाख (तेतालीस करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

जल संसाधन विभाग

11. लोकाईन सिंचाई योजना के दायां एवं बायां मुख्य नहर तथा इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग तथा राढ़िल वीयर के मरम्मति कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 3541.79 लाख (पैतीस करोड़ ईक्तालीस लाख उन्नासी हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

12. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत 35 पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित एवं सेवा अवधि समाप्त पशु चिकित्सकों की नियोजन अवधि का विस्तार आदेश निर्गत की तिथि से एक और वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर पशु चिकित्सकों के स्थाई पदस्थापन होने तक, जो पहले हो, तक के लिए विस्तार के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

13. श्री प्रदीप कुमार (बिहार लेखा सेवा), तत्कालीन जिला भविष्य निधि पदाधिकारी–सह–राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

14. कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास (Skill Development in 47 Districts Affected by Left Wing Extremism)" के योजना के तहत नवादा जिला में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पदसृजन करने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

15. कौशल विकास मिशन स्कीम अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना के साथ योजना की स्वीकृति। 15. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

16. प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) तथा व्यापारमंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के मानक के अनुरूप नमी प्रबंधन हेतु 12 मे०टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना के लिए उक्त सहकारी समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) के रूप में कुल 97.02 करोड (संतानवे करोड़ दो लाख) रूपये व्यय की योजना की स्वीकृति एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल अनुमान्य राशि यथा 8.80 करोड़ (आठ करोड़ अस्सी लाख) रूपये का व्यय सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण मद में राज्य योजना से प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के राशि से करने की स्वीकृति। **16. स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 से DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की स्वीकृति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) (परिशिष्ट–1) एवं विभागीय संकल्प संख्या–590, दिनांक–27.03.2017 द्वारा निर्धारित दर पर DBT के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्तर से करने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति। **17. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के फलस्वरूप बिहार निवास एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के संपदा विभाजन में मालिकाना हक के एवज में झारखंड सरकार को मुआवजा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से रूपये 2510.00 लाख (पच्चीस करोड़ दस लाख रू०) का बजट उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति। **18. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

19. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। **19. स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

20. डोर स्टेप डिलेवरी योजना–2016 के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अन्तर राज्यीय संचलन, उठाई–धराई इत्यादि में राज्यांश मद में भुगतान की जाने वाली दर में संशोधन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के अवशेष माह जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक संशोधित दर 121.40 रूपये प्रति क्वींटल की दर से कुल 50022 लाख रूपये (पाँच अरब बाईस लाख) व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के प्रथम एवं द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में Point of Sale (PoS) यंत्र का प्रणाली समाकलक (System Inegrator) के माध्यम से अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण, पी॰एम॰यू॰ का गठन एवं इस हेतु 45.60 लाख (पैंतालीस लाख साठ हजार) रूपये वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति। 21. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

22. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले गैर अनुसूचित मदों के अनुमोदन हेतु विभागीय अनुसूचित दर समिति के गठन का प्रस्ताव। 22. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

23. भवन निर्माण विभागान्तर्गत अधीक्षण अभियंता (असैनिक) (ग्रेड वेतन–₹ 8700/–अपुनरीक्षित) से मुख्य अभियंता (असैनिक) (ग्रेड वेतन–₹ 8900/–अपुनरीक्षित) के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित दो (02) वर्षों की कालावधि को दिनांक–07.10.2017 से अगले एक (01) वर्ष अर्थात् दिनांक–07.10.2018 तक के लिए विशेष परिस्थिति में क्षान्त किये जाने के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

26. "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2013 में Learning outcomes के समावेश के संबंध में। 26. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

27. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायणशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

28. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु दिनांक– 31.03.2018 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने के संबंध में।

28. **स्वीकृत।**